न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 02/2018

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
1. सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर		1. श्री कानाराम पुत्र श्री हीरालाल मै0 शिव डेयरी फार्म अमरचौक मथानिया जिला जोधपुर निवासी- रामनगर गांव फगारा तह0 पीसागंन जिला जोधपुर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थिति:- 1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 17.07.2018

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 14.06.2017 को 05:50 पी.एम. को खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग मैसर्स शिव डेयरी फर्म अमरचौक मथानिया जिला जोधपुर पर पहुंच कर निरीक्षण करने पर श्री कानाराम पुत्र श्री हीरालाल गुर्जर **(मालिक एवं विक्रेता)** उम्र 23 वर्ष निवासी रामनगर गांव फगारा तह0 पीसागंन जिला अजमेर उपस्थित मिले जो आम जनता को उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ गाय दूध आम जनता को विक्रय हेतु कर रहे थे। विक्रेता से वर्ष 2015 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, जो इन्होने पेश किया एवं वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी वेट-03 व फार्म बी प्रमाण, स्वयं का पहचान पत्र पेश किया। निर्माण स्थल पर निरीक्षण करने पर दो प्लास्टिक केन में लगभग 40 लीटर **खाद्य पदार्थ गाय का दूग्ध** आम जनता को विक्रय हेतु तैयार थे। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर/मिथ्या छाप का शक होने पर रूबरू गवाहों श्री गोपालसिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपूत, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम ताम्बरिया कल्ला, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर एवं साथ गये श्री रजनीश शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर देकर रसीद प्राप्त की एवं विक्रेता को रूपये 70 रुपये नगद देकर **गाय का 2 लीटर मूल ही वास्ते जांच खरीदा** तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं।

उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **गाय का दूध 2 लीटर** अच्दी तरह से हिला मिलाकर एक साफ सूखी की भगौनी में तुलवाकर/नपवाकर एक रुप कर चार भागो में बराबर-बराबर कर चार साफ सूखी एवं खाली कांच की शिशियों में 500 एम एल प्रति नमूना डालकर प्रत्येक में 40 बूंदे फॉर्मलिंग की डाली अच्छी तरह हिलाया एवं टाइट बन्द किया। जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर **एम-1539** खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व

विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। प्रत्येक मूल पैकेट को अलग-अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप **एम-1539** हस्ताक्षर युक्त जिला अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई गयी एंव चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार-चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना **एम-1539** सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की। जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की। जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। उक्त सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 15.06.2017 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि चारों नमूनों को अलग अलग भागों में **एम-1539** की जांच कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट फॉर्म बी संख्या एलएस/593/एक्ट/2017/594 दिनांक 22.06.2017 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जांच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ **गाय का दूध** का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने पर **Milk Solids not fat (SNF)** न्यूतनतम 8.5 प्रतिशत के स्थान पर 7.82 प्रतिशत पाया गया जो मानक स्तर से अधिक होने के कारण अमानक स्तर (**SubStandard)** होना पाया गया। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का भण्डारण एवं निर्माण वास्ते विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन पाये जाने से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के साथ परिवाद पेश करने का अभिहित अधिकारी का प्राधिकृत पत्र मूल, गजट नोटिफिकेशन, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन एवं पदस्थापना आदेश कार्यक्षेत्र जोधपुर की प्रति, प्रपत्र 5ए, नमूना खरीद की रसीद व मौका फर्द मूल, श्री कानाराम के पहचान पत्र की प्रति, नमूना संख्या एम-1539 एवं सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद (प्रारूप VI के पीछे), नमूना संख्या एम-1539 के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सिल्ड भाग की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी को जमा जांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र 19556-557, जांच रिपोर्ट फार्म बी एलएस/593/एक्ट/2017/594 एवं न्याय निर्णयन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को लिखा पत्र मूल प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 21.03.18 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी श्री कानाराम द्वारा स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 05.07.18 को जवाब पेश किया जिसमें बताया कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स शिव डेयरी फार्म ग्राम मथानिया से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.06.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) एवं धारा 51 के तहत जांच हेतु गाय का दूध का नमूना एम-1539 लिया गया लिया गया जो कि जांच रिपोर्ट अनुसार सब स्टेण्डर्ड पाया गया है, दूध में फेट के मानक पूर्ण है एवं इसमें मामूली कमी पाई गई है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि वह दूध

बाजार से खरीद कर डेयरी पर विक्रय करता है तथा उक्त गाय का दूध जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि भविष्य में उक्त गलती की पुनरावृति नहीं की जायेगी। अत: अप्रार्थी द्वारा परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर न्यूनतम जुर्माना लगाने एवं उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी श्री कानाराम की बहस सुनी गयी। अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन करने पर पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन करने पर धारा 51 के तहत दोषी है। अत: अप्रार्थी पर शास्ति रूपये **5,000/- (अक्षरे रूपये पाँच हजार मात्र)** आरोपित की जाती है, अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक **17.07.2018** के एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करे। निर्णय की प्रति समस्त संबंधित को भिजवायी जावे।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक **17.07.2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(**महिपाल कुमार**)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय)
जोधपुर